सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 118/2016

बउनवान

गुल मोहम्मद पुत्र जुम्मा खां मुसलमान निवासी लोठा भैरू सदर बाजार छबड़ा (अपीलांट)

बनाम

1. नगर पालिका छबड़ा जर्ये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, छबड़ा
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज.) (रेस्पोडेन्ट)

अपील नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 05.05.2001 वाके ग्राम छबड़ा अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री मदन गोपाल केवड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 23.05.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल छबड़ा में आराजी खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा स्थित रही है जो जैर अपील इन्तकाल नंबर 1196 से सिवायचक नगर पालिका, छबड़ा रेस्पो. क्रम 1 की खातेदारी दर्ज कर आबादी भूमि में परिवर्तित कर दी है। हल्का पटवारी ने कतिपय व्यक्तियों से मिलीभगत कर दिनांक 29.04.2001 को रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से निवेदन किया कि श्रीमान् उप जिला कलक्टर, महोदय छबड़ा के पत्र क्रमांक भूरू/2001/526–527 दिनांक 19.03.2001 की अनुपालना में खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा भूमि नगर पालिका छबड़ा के नाम सिवायचक दर्ज करने के स्वीकृति आदेश फरमावें। प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर, छबड़ा का नोटिस क्रमांक भूरू/2001/100 दिनांक 14.02.2001 प्राप्त हुआ था जिसका जवाब प्रार्थी ने 1.03.2001 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु काम में आ रही है मैं इसे रूपान्तरित नहीं करवाना चाहता इस पर दिनांक 19.03.2001 को आदेश पारित किया कि उक्त प्रकरण वर्तमान स्थिति अनुसार धारा (90 बी) के अन्तर्गत नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। आदेश क्रमांक भूरू/2001/526–527 दिनांक 19.03.2001 भूमि सिवायचक दर्ज नहीं करने बाबत था जिसे दुरभि सन्धि करके पटवारी हल्का ने गलत रूप से भूमि सिवायचक आबादी में दर्ज करवा दी। अतः नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 05.05.2001 ग्राम छबड़ा खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 29.02.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर, छबड़ा का नोटिस क्रमांक भूरू/2001/100 दिनांक 14.02.2001 प्राप्त हुआ था जिसका जवाब प्रार्थी ने 1.03.2001 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु काम में आ रही

है मैं इसे रूपान्तरित नहीं करवाना चाहता इस पर दिनांक 19.03.2001 को आदेश पारित किया कि उक्त प्रकरण वर्तमान स्थिति अनुसार धारा (90 बी) के अन्तर्गत नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश क्रमांक भूरू/2001/526–527 दिनांक 19.03.2001 की अनुपालना में खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा भूमि नगर पालिका छबड़ा के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण से सिवायचक दर्ज कर दी। जबकि न्यायालय उप जिला कलक्टर छबड़ा ने धारा (90 बी) का प्रकरण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के आधार पर ग्राम छबड़ा की आराजी खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा को कृषि भूमि मानकर खारिज किया था। अतः ग्राम छबड़ा का नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 05.05.2001 खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथा प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, तहसीलदार छबड़ा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छबड़ा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही। उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार छबड़ा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रेषित की जो इस प्रकार है कि ''वर्तमान में प्रार्थी की भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है, आबादी बसी हुई नहीं है, पूर्ण रूप से खाली है तथा कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है।'' अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 अनुसार ''वर्तमान में उक्त भूमि पर कुआ बना हुआ है भूमि कृषि में उपयोग हो रही है''

हमने पुनः बहस उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, तहसीलदार छबड़ा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छबड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि ग्राम छबड़ा की आराजी खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा वर्तमान में भी कृषि कार्य हेतु उपयोग में आ रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम छबड़ा का नामा. संख्या 1196 दिनांक 05.05.2001 खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न प्राप्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छबड़ा का अवलोकन किया जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम छबड़ा की आराजी खसरा नंबर 821 रकबा 14 बिस्वा वर्तमान में भी कृषि कार्य हेतु उपयोग में आ रही है। परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम छबड़ा का नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 05.05.2001 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर बारां